नगर निगम पानीपत

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार ने नोटीफिकेशन न. 14/153/2011-4CI दिनांक 24/10/2011 द्वारा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए उपभोक्ता संग्रहण दर निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है:-

क्र.स.	प्रॉपर्टी विवरण	प्रतिमास दर
रिहायशी क्षेत्र		
1.	बी.पी.एल. मकानों, अधिसूचित स्लम, मलिन बस्तियां और ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स	5 रुपए
2.	100 वर्ग मीटर प्लाट तक होस्टल समेत आवसीय मकान	20 रुपए
3.	100 से 200 वर्ग मीटर तक के हॉस्टल समेत आवासीय मकान	40 रुपए
4.	200 वर्ग मीटर से अधिक होस्टल सहित आवासीय मकान के लिए	50 रुपए
5.	400 वर्ग मीटर से अधिक होस्टल सहित आवासीय मकान के लिए	100 रुपए
6.	ई.डब्ल्यू.एस. फ़्लैट को छोड़कर 2 हजार वर्ग फीट तक आच्छादित क्षेत्र वाले अपार्टमेंट्स	50 रुपए प्रति फ़्लैट
7.	2 हजार से अधिक आच्छादित वाले अपार्टमेंट्स, फ़्लैट के लिए	100 रुपए प्रति फ़्लैट
व्यावसायिक क्षेत्र		
8.	अनाज मंडी, सब्जी मंडी, दुकानों, सर्विस स्टेशनों, रेस्टोरेंट, ढाबों, मत्स्य दुकान से	25 रुपए
9.	अनाज-सब्जी मंडी, दुकानों, सर्विस स्टेशनों, रेस्टोरेंट, ढाबों, मत्स्य दुकान (200 वर्ग फीट से ऊपर)	100 रुपए
10.	इंडोर सुविधाओं के बिना नर्सिंग होम, क्लीनिक्स, औषधालयों, 50 बिस्तरों अस्पताल के लिए	1500 रुपए
11.	50 बिस्तरों से अधिक अस्पतालों के लिए	3000 रुपए
12.	100 बिस्तरों से अधिक अस्पतालों के लिए	5000 रुपए
13.	माल्स, सिनेमा, अधिसूचित बूचड़खानों सहित शोपिंग काम्प्लेक्सों के लिए	0.50 रुपए प्रति वर्ग फीट
14.	कारखानों व मिलों के लिए	0.50 रुपए प्लाट क्षेत्र वर्ग फीट
15.	बैंकों, सभागारों, गेस्ट हाउस, होस्टलों (10 कमरों तक)	500 रुपए
16.	बैंकों सभागारों, गेस्ट हाउस,, होस्टलों (10 कमरों से ऊपर) व कमर्शियल पार्टी लांस	4000 रुपए
17.	500 तक की ।दस्यता वाले रेस्टोरेंट की सुविधा के साथ क्लबों के लिए	500 रुपए
18.	500 से अधिक सदस्यता वाले रेस्टोरेंट की सुविधा के साथ क्लबों के लिए	1000 रुपए
19.	पैट्रोल पम्प व गैस स्टेशन	1000 रुपए
20.	केन्द्रीय तथा राज्य सरकार, संस्था कार्यालय, कल्याण संगठन व समितियां	150 रुपए
21.	2 एकड़ तक किसी प्रकार की सभी शैक्षणिक संस्थाएं	500 रुपए
22.	2 व 5 एकड़ के बीच बनी सभी शैक्षणिक संस्थाएं	1000 रुपए
23.	5 एकड़ से ज्यादा तक किसी प्रकार की सभी शैक्षणिक संस्थाएं	2000 रुपए
24.	सभी धर्मशालाएं, धार्मिक स्थान व खेल क्लब को छूट मिलेगी	

अत: नगर निगम पानीपत इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित करता है कि निगम क्षेत्र से कूड़ा संग्रहण करने वाली कंपनी मैसर्ज जे.बी.एम्. एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड निगम क्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्त यूनिट्स/रेट्स अनुसार कूड़ा संग्रहण राशि एकत्रित करेगी।

आयुक्त,
नगर निगम पानीपत

Scanned with CamScanner